29.3.19

पत्रावली में राजेश अभिभाषक अपी. उपस्थित

अभिभाषक अपीलार्थी ने बताया कि आपसी समझौते से सम्बन्धित मूल वाद का निस्तारण होकर अपील न्यायालय में दर्ज की गुजारिश लिये प्रस्तुतकरण ने दिनांक 30.11.18 को आगे नहीं चलाये जाने से खारिज करवा लिये जाने के मूल दावे की अपील सं. 171/2034 अनुनाथी रेमती बनाम मदन का निस्तारण दिनांक 30.11.18 को हो गया है। यह अपील 225 राज. सरकारी अधि. की है जो सारहीन हो गयी है अतः खारिज की जावे।

अतः अपील अपीलार्थ सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दफ्तर से सम्बद्ध हो।

राजस्व अपील अधिकारी
अलवर